न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 266/2024

अनवान : –

1. बलवीर पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. नत्थुराम पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
3. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सुभाष 2. चन्द्रसैन 3. रोहताश पुत्र व पुत्रीयान पार्वती पुत्री गंगाराम पत्नी रामप्रताप जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. सीमा पुत्री पार्वती पुत्री गंगाराम पत्नी रामप्रताप जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **सायल**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 31/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम चक 18 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 14/12 के प.न. 331/413 मु.न. 50 के किला नं. 14 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0.2280 हैक्टर 15/2 की 0.0250 हैक्टर, 16/1 की 0.2280 हैक्टर 16/2 की 0.0250 हैक्टर, 17 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 24 की 0.1900 हैक्टर भूमि, 25/1 की 0.0250 हैक्टर 25/2 की 0.1650 हैक्टर भूमि, प.न. 332/413 मु.न. 49 के किला नं.11 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 12 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 13/1 की 0.2150 हैक्टर, किला नं. 18 ता 20 प्रत्येक किला की 0.2530 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.1900 हैक्टर भूमि किला नं. 22 की 0.1770 हैक्टर भूमि किला नं. 23 की 0.1640 हैक्टर भूमि कुल तादादी 3.4030 हैक्टर भूमि सायालन सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के पिता गंगाराम पुत्र खुबाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर काश्त की खातेदारी भूमि थी।

गंगाराम के फौत होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान के नाम विरास्तन में दर्ज हो गई। गंगाराम की पुत्री [illegible] के [illegible] वादग्रस्त 1/6 हिस्सा दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि सदामत से ही गंगाराम [illegible] थी तथा राजस्व रिकार्ड में भी वादग्रस्त भूमि गंगाराम के [illegible] गंगाराम ने अपना जी[illegible]काल में दिनांक 29/01/2013 में अपने इच्छा से वादग्रस्त भूमि व[illegible]त अपने चारो पुत्रो [illegible]न सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी व 7 के नाम ब.हि.ब. कर दी गंगाराम दिनांक 10/10/2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का फौत हो गया है गंगाराम के फौत होने के पश्चात समस्त भूमि सायलान सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि गंगाराम के फौत होने के पश्चात सायलान सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के नाम से गंगाराम की वसीयत दिनांक 29/01/2013 के अनुसार दर्ज होनी चाहिऐ थी किन्तु कतई गलती तौर से विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया जिसके अनुसार गंगाराम की पुत्री पार्वती के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया। वादग्रस्त भूमि पार्वती का कोई हक व हिस्सा नही था पार्वती का नाम कतई गलत दर्ज हो गया पार्वती सायलान की संगी बहन थी वह अपने नाम दर्ज भूमि को अपने भाईयों के नाम दर्ज कराने का विश्वास हमेशा देती रही थी। किन्तु अब पार्वती का देहान्त हो गया गैरसायलान सं. 1 ता 4 पार्वती के पुत्र व पुत्री है गैरसायलान सं. 1 ता 4 वाद भूमि कब्जा करने व वाद भूमि को रहन/बैय अन्य प्रकार मुन्तकिल करने को आमादा है इसके लिये गैरसायलान सं. 1 ता 4 ऐलानिया धमकी देते है।

वादग्रस्त भूमि पर गैरसायलान सं. 1 ता 4 कब्जा करने या वादग्रस्त भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 4 रहन/वैय या मुन्तकिल करने में सफल हो जाता है तो सायलान को ना पुरा होने वाला नुक्शन पहुंचेगा जिसकी क्षति पूर्ति बाद में सम्भव नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 14/12 की कुल 3.4030 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वसीयत फर्जी व कुटरचित है विरासतन नामान्तरण दर्ज हुए 12 वर्ष हो गये आज तक कोई उज्र नही किया गया। उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसकी वसीयत नही की जा सकती है। गंगाराम के देहान्त के बाद वाद भूमि सभी वारिसान के विरासतन दर्ज हुई है जो की विधि अनुसार सही दर्ज हुई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि गंगाराम के फौत होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान के नाम विरास्तन में दर्ज हो गई। गंगाराम की पुत्री पार्वती के नाम भी वादग्रस्त 1/6 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि सदामत से ही गंगाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही थी तथा राजस्व रिकार्ड में भी वादग्रस्त भूमि गंगाराम के नाम से दर्ज थी। गंगाराम ने अपना जीवन काल में दिनांक 29/01/2013 में अपने इच्छा से वादग्रस्त भूमि वसीयत अपने चारो पुत्रो सायलान सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी व 7 के नाम ब.हि.ब. कर दी गंगाराम दिनांक 10/10/2015 का फौत हो गया है गंगाराम के फौत होने के पश्चात समस्त भूमि सायलान सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि गंगाराम के फौत होने के पश्चात सायलान सं. 1 ता 3 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के नाम से गंगाराम की वसीयत दिनांक 29/01/2013 के अनुसार दर्ज होनी चाहिऐ थी किन्तु कतई गलती तौर से विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया जिसके अनुसार गंगाराम की पुत्री पार्वती के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया जबकि मुताबिक वसीयत दर्ज होनी थी।

पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि गंगाराम से पूर्व गंगाराम के पिता खुबाराम के नाम दर्ज थी एवं खुबाराम के बाद गंगाराम के नाम दर्ज हुई है तथा गंगाराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के विरासन दर्ज हुई है। पत्रावली मे प्रस्तुत वसीयत के मुताबिक गंगाराम द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत की गई है जबकि वसीयत भूमि पैतृक है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 21.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर